Q

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/आर–256/2026– **/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026**

डा० नितीश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान के दिनांक–23.02.2022 से 10.06.2025 तक के अविनियमित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

i	दिनांक–23.02.2022 से 08.03.2025 तक	–	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अवधिसूचना संख्या–2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)
ii	दिनांक–09.03.2025 को	–	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम–236)
iii	दिनांक–10.03.2025 से 05.06.2025 तक	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
iv	दिनांक–06.06.2025 से 10.06.2025 तक	–	पद ग्रहण काल के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/आर–256/2026– 2679(2) **स्वा०, पटना, दिनांक** 10/11 **/2026**

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान/जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/डा० नितीश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगज, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Manoj 5/x/26
सरकार के उप सचिव।